सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 123/2016 **दायर तारीख :– 21.12.2016**

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

—— वादी

बनाम

1. मामली देवी पत्नि काना
2. भैंरूराम
3. मदनलाल
4. मूसाराम
5. श्यामलाल

} पुत्रान कानाराम जाति माली निवासी मैड़ तहसील विराटनगर

—— प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : पैरोकार सरकार
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादीगण

निर्णय

निर्णय दिनांक 18.07.2019

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर द्वारा राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि पटवार हल्का मैड़ के खसरा नंबर 3500 रकबा 0.35 हैक्टेयर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2070–73 है। प्रतिवादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा में से 0.02 हैक्टेयर पर मौके पर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अवैध रूप से मोबाईल टॉवर स्थापित कर रखा है, जबकि उक्त भूमि कृषि भूमि है, तथा आराजी मुतनाजा का उपयोग अकृषि कार्य में किया जा रहा है, जो नियम विरूद्व हैं अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि का बिना रूपान्तरण कराये अकृषि के उपयोग में ली जा रही है, जो काश्तकरी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः निवेदन है कि उक्त भूमि राज. सरकार में दर्ज करने के आदेश फरमावें।
2. वाद/प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजी[illegible] गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील [illegible] स्थित रहे। प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:43:25 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. पैरोकार सरकार ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी संवत 2070–2073, फर्द मौका दिनांक 16.12.2016, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2070–2073 आदि पेश किये।

4. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा पैरोकार सरकार को सुना गया। जमाबंदी सवंत् 2070–2073 आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 3500 रकबा 0.35 हैक्टेयर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पैराकार सरकार का तर्क रहा कि मौके पर प्रश्नगत भूमि पर खेती नहीं की जा रही है, बल्कि मोबाईल टॉवर स्थापित कर रखा है। प्रतिवादीगण की तलबी की गई, प्रतिवादीगण प्रकरण में सुनवाई व अपना पक्ष रखने उपस्थित नहीं हुए, इसलिए प्रतिवादीगण के बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर, प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है। तहसीलदार विराटनगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। आराजी मुतनाजा का प्रतिवादीगण द्वारा भूमि रूपान्तरण नहीं कराया है। पैरोकार सरकार का यह भी तर्क रहा कि प्रतिवादीगण बिना भू–रूपान्तरण आराजी मुतनाजा का उपयोग अकृषि कार्य नहीं कर सकता है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा का केवल काश्त कर सकता है। अतः आराजी मुतनाजा को सिवायचक राज्य सरकार में दर्ज करने के आदेश दिये जावे। प्रतिवादीगण द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के आराजी मुतनाजा का अकृषि उपयोग किया है, जो विधिक नहीं है तथा काश्तकारी शर्तो का उल्लघंन है। चूंकि प्रतिवादीगण के खाते में आराजी मुतनाजा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के रूप में दर्ज है, इसलिए प्रतिवादीगण कृषि प्रयोजनार्थ से इतर भूमि का उपयोग/उपभोग नहीं कर सकता है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 177 में यह स्पष्ट है कि ''अभिधारी अपनी जोत(भूमि) में भूमि के लिए अहितकारी कार्य या जिस प्रयोजन के लिए भूमि दी गई है उससे असंगत कार्य करेगा तो बेदखली का दायी होगा''। यहां यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने कृषि से इतर उपयोग किया है। पैरोकार सरकार की बहस से स्पष्ट है कि वाद दायरी से पूर्व मोबाईल टॉवर स्थापित कर उपयोग किया जा रहा था। आराजी मुतनाजा कृषि है, जिसका मौके पर अकृषि प्रयोजन हेतु उपयोग हो रहा है, जो काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः आराजी मुतनाजा को सिवायचक राज्य सरकार में दर्ज किया जाना न्यायसंगत एवं उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:43:25 IST
Reason: SelfAttested

आ

वादी (पैरोकार सरकार) का वाद डिक्री किया जाता है। वाके ग्राम मैड़ के खसरा नंबर 3500 रकबा 0.35 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर भूमि को अकृषि उपयोग मौके पर मोबाईल टॉवर स्थापित कर उपयोग में आने के कारण सिवायचक राज्य सरकार में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी की खातेदारी हजफ कर अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार विराटनगर को प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 18.07.2019 सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:43:25 IST
Reason: SelfAttested